[illegible]

[illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद्,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या:- प्रा0शि0/परिषद् सम्बद्धता/2021/3537 संख्या: दिनांक: 09/08/202

:: [illegible] आदेश ::

प्राविधिक पाठ्यक्रम संचालिकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली/[illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा संशोधित सत्र 2021-22 हेतु दिनांकित संबंधित संचालिकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ की सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद् कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनंतिम नई संस्थाओं को सम्बद्धता तथा से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रमवार प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जिला संभल की प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रमवार पूर्व स्वीकृत अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1227-BSA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY,NEAR NEW BUS STAND BHUTESHWAR ROAD,MATHURA-281004

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एन0सी0वी0टी0/ सी0वी0ई0टी0 परिषद् द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद् द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एन0सी0वी0टी0/सी0वी0ई0टी0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् विनियमावली 1992, [illegible] विनियमावली 2016 तथा अन्य नियमित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क नियमित समिति द्वारा निर्धारित शुल्क और समिति द्वारा समिति पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो समिति पाठ्यक्रमों पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45000.00 प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो समिति पाठ्यक्रमों (दो समिति पाठ्यक्रमों पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क समिति तथा/अथवा से प्राप्त किया जायेगा। प्रवेश के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर [illegible] द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेश-परिपत्र अथवा शर्तों, और अनुदान पाठ्यक्रमों किया जाना अनिवार्य होगा। बैठक निर्धारित समिति द्वारा वर्ष सत्र 2021-22 हेतु बैठक का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो बैठक की तारीख से लागू होगी।
- ✓ संस्था को (2010) प्राविधिक शिक्षा संस्थानों तथा उच्च संस्थानों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्थान की समस्त-संस्थान का नियंत्रण मानकमापदंड के अनुसार निर्धारित एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना संस्थान दायित्व।
- ✓ संस्थान को एन.आई.टी/सी.ओ.ई/एन.आई.ए/एन.आई.एफ.टी/एन.आई.डी की अनुमति प्राप्त हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाये गये विभिन्न/विभागीय अभियांत्रिकी/तकनीकी/पॉलिटेक्निक एवं निजी/अशासकीय, अभियांत्रिक शिक्षा, उत्तराखंड, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखंड तथा अभियांत्रिक शिक्षा परिषद, उत्तराखंड द्वारा चलाये गये डिप्लोमा, डिप्लोमाधारी, अभियंता, डिप्लोमा का संचालन करने के लिये बाध्य होगा।
- ✓ विभागीय द्वारा चलायी जा रहा संस्थान की संबद्धता यदि डी.बी.ए.ई., नई दिल्ली के अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों का प्रवेश और शिक्षण कार्य के लिये नये छात्रों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा। अभियांत्रिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, अभियांत्रिक शिक्षा निदेशालय एवं अभियांत्रिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भाग उत्तर शिक्षा अंगत है उक्त संस्था पाठ्य के संबंध में या, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकूली कार्यवाही अथवा निर्णय लिया जाता है तो सम्बन्ध प्रतिकूली पाठ्यचर्या संस्था को करनी होगी।
- ✓ विभागीय एवं चलायी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश परीक्षा के लिए अभियांत्रिक प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यान्वित प्रारम्भ होने के पूर्व पी.एम.टी.-यू.पी. में अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उक्त संस्था उपर्युक्त प्रवेश की प्रक्रियाओं के माध्यम से संस्था संबद्ध करा पा सकेंगे अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित परीक्षाओं आयोजन विभागों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपनी वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की प्रतिष्ठित पुस्तिका, शुल्क, स्टाफ, स्टाफ-स्टाफ, उपकरण, प्रवेश विवरण पाठ्य सूचना, मानकमापन सूचना आदि का नियमित उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विभाग प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त मानकमापन उपलब्ध कराने के साथ विभिन्न टीचर्स के मानकमापन में संस्था आवश्यकता मानकमापन पूर्तिकित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में अध्यापित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्धारित कमिटी के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, पुस्तिका-पत्रक, फर्नीचर, उपकरण उपलब्ध का सही संस्था द्वारा निर्धारी, जांच मानकमापन के मानकमापन में प्रवेश किया जाता है और परिषद को प्रस्तुत जानकारी होती है कि संस्था उपर्युक्त का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो मानकमापन संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के अध्यापित निर्धारित दीपक यदि संस्था में पुस्तिका, पत्रक, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य मानक-मानकों एन.आई.टी/सी.ओ.ई/एन.आई.ए/एन.आई.एफ.टी/परिषद के मानकमापनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता संबंधी का अनुपालन न किये जाने अथवा संबंधी का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुशील कुमार श्रीवास्तव)

सचिव

पृ0सं0- अभि0/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 06/08/2021

प्रतिलिपि-

प्रबन्धक/निदेशक,BSA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY,NEAR NEW BUS STAND BHU/TESHWAR ROAD,MATHURA-281004

प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविधिकपरिषद् सम्बद्धता/2022/102733

लखनऊ: दिनांक: 15/12/2022

सम्बद्धता प्राप्त,

प्राविधिक पाठ्यक्रम संचालनकर्ता शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली/राज्यकर्ता कार्यालय अथवा कुलपति, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित प्राविधिक संस्थानों शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ के सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 10/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अर्हतित नई संस्थाओं को सम्बद्धता तथा वे संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में मैसर्स सत्य की प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उनमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1227-BBA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एन.सी.टी.ई./फार्मेसी काउंसिल द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एन.सी.टी.ई./फार्मेसी काउंसिल द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् विनियमावली 1962, विनियमावली-2000, विनियम विनियमावली-2014 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क रु0- समेत प्रति पाठ्यक्रम हेतु रू0 30,100.00/- प्रतिवर्ष, दो अंकीय पाठ्यक्रम हेतु रू0- 40000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो सत्रीय पाठ्यक्रमों (दो सत्रीय पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22000.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश कार्यवाही में प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों में शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश लागू होंगे, और अनुपालन कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा। यदि नियामक समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु शुल्क का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो शुल्क की गणना उसी आधार होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा अर्हतित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्धारित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत विनियमावली/नियमावली/शासनादेशों/परिपत्रों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा समय समय निर्गत, विनियमावली, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- यदि संस्थान का एफ.आई.सी.टी.ई./पी.सी.आई. से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में सम्बन्ध उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश वर्ष प्रवेश हेतु आवंटित काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व एफ.आई.सी.टी.ई./पी.सी.आई. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उक्त प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परिक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नीतियां/आरक्षण नियमों का अनुपालन करना कार्यकारी होगा।
- संस्था को अपने हैसियत पर संस्था की समस्त सुविधाएं जैसे संस्था की हैसियतिक पुष्टि भूमि, भवन, छात्र-छात्रा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- संस्था की विकास-प्रतिकास हेतु उपयुक्त आवासीय उपलब्ध कराने के साथ वैकल्पिक तकनीकी के माध्यम से समस्त आवश्यक आवश्यक सुविधाएं कराना होगा।
- संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रयोगशाला/कार्यशाला चलाने जाने हेतु निर्धारित समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था के औचक अथवा निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य छात्र-छात्रा एफ.आई.सी.टी.ई./पी.सी.आई./परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(एफ०आर० खान)

सचिव

पृ०सं०- प्राविधिकपरिषद सम्बद्धता/2022/18734-10769

दिनांक: 18/12/2022

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक BSA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

(एफ०आर० खान)

सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविधिकपरिषद् सम्बद्ध/ता/2023/1209000।

लखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

"कार्यालय ज्ञाप"

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, नई दिल्ली द्वारा सैशन वर्ष 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा फार्मेसी तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन निरस्त/प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता निरस्त/प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में बैठक: दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 03-08-2023 को परिषद् कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक बुलाई गई। बैठक में वर्ष 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, नई दिल्ली द्वारा संस्थानों की प्रदत्त अनुमोदन विवरण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थानों की सम्बद्धता निरस्त/प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्थान को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु निम्नांकित पाठ्यों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उनकी अधिकतम प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता निरस्त प्रदान की जाती है:-

संस्थान का कोड एवं नाम : 1237-AKA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	अ०भा०तकनीकीशिक्षा परिषद/कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-2 उ०प्र० प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 1121/36-2000/अ०शि०/2022 दिनांक-1 दिनांक 18 मई 2022 द्वारा पूर्व से संचालित उपरोक्त संस्थानों की फीस के विरुद्ध माननीय न्यायालय में लंबित रिट याचिका/ मामला न्यायालय में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ उपरोक्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तें एवं मानक पूर्णतः पालन करेंगे।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, नई दिल्ली के मानक के अनुसार संस्थान में पाठ्यक्रम संचालन (भूमि, भवन, शैक्षिक उपकरण) आदि उपलब्ध है।
- ✓ उपरोक्त उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद् एक्ट तथा उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् नियमावली 1992, नियमावली-2000, संशोधन नियमावली-2004 तथा शासनादेश एवं निर्गत माननीयों का अनुपालन करेंगे तथा मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित मानकों के अधीन उपलब्धता के प्रमाण किया जाना। उपरोक्त के अतिरिक्त शासनादेशों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में समय समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और अनुपालना कार्यालयों विभाग द्वारा, आवश्यक होगा। परिषद निर्धारण समिति द्वारा सभी वर्ष 2023-24 हेतु परिषद का मूल्यांकन किया जाता है, तो परिषद की मान्यता दी जाए होगी।
- ✓ संस्थान में अनुमत प्रवेश परिषद परिषद द्वारा अनुमोदित कार्यों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्थान की सम्बद्धता एवं निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता मूल्यांकन समय समय कराया होगा।
- ✓ संस्थान द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शिक्षा/शिक्षा/शिक्षा/शिक्षा/शिक्षा/शिक्षा/शिक्षा/शिक्षा एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, अनुमत प्रवेश परिषद परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन

करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का अंतिम भारतीय स्नातकोत्तर शिक्षा परिषद्/स्नातकोत्तर कार्यालय और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन लिया गया है तो पूरा संस्थान ने अपना उपरोक्त संस्था का ईमेल और विभिन्न अन्य के किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था अपने उपरोक्त होगी। अंतिम शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा परिषद्, अंतिम शिक्षा निदेशालय एवं अंतिम शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा उसके वाद के संबंध में या, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की अवमानना संबंधी, अंतिम निर्णय लिया जाता है तो संस्था प्रतिभूति संबंधित संस्था की कार्यवाही होगी।
- ✓ संस्थाओं को राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश सरकार, द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउंसिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व अंतिम भारतीय स्नातकोत्तर शिक्षा परिषद्/स्नातकोत्तर कार्यालय और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर काउंसिलिंग कार्यवाही को प्रारम्भ करना होगा अन्यथा उत्तर प्रदेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु स्नातक-स्नातक एवं डिप्लोमा परीक्षाओं आयोजन नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने विश्वसनीय तथा अंतिमिक शिक्षा के मूलभूत पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की पोस्टल्स पूर्ति, स्टाफ, स्नातक-स्नातक, उपकरण, अपने विषय वार्षिक सूचना, छात्रावास सुविधा आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यार्थियों हेतु उपयुक्त छात्रावास उपलब्ध कराने के साथ ऐसिक रोजगार के माध्यम से समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रवेशोपरान्त/प्रवेशित छात्रछात्रा की पढ़ाई जारी रहे हेतु निरंतर प्रक्रिया के साथ उपलब्ध करायी गई अधिसूचित, पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रवेश लिया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्थान संस्था की मान्यता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश अंतिमिक शिक्षा (अंतिमिक और उपाधिमिक) संस्थाओं का मान्यता नियम तथा विनियमावली, 2005 के प्रावधानानुसार परिषद् की मान्य पत्र अपने कार्यालयों, भवनों और कार्यालय को परिषद् की परीक्षा के संचालन के लिए परिषद् के अधिकार दे सकेगी।
- ✓ संस्था के अतिरिक्त अन्यत्र निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में पुस्तिका, पत्रक, प्रशिक्षणालय, उपकरण एवं अन्य छात्र-छात्रा सम्बन्धी/अभिलेख/रिकार्ड/रिकार्ड-बही/परिषद् के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ मान्यता पत्रों का अनुपालन न किये जाने अथवा पत्रों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अजीत कुमार सिंह)

सचिव

पृ0सं0- प्रविधिपरिषद मान्यता/2023/12090002-12091230 दिनांक: 12-09-2023

प्रतिलिपि-

प्रबन्धक/निदेशक,BSA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

(अजीत कुमार सिंह)

सचिव